an>

Title: Need to take services of retired judges to increase efficiency of the District and Subordinate Courts of the country.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, आजकल अक्सर चर्चा होती है Delayed justice is like denied justice. न्याय को जल्दी देने की बात आज लगातार होती है। हमारे गांव में एक कहावत है उसे अगर सामान्य भाषा में कहें तो बंधु बैर और न्याय में थोड़ा समय लेना चाहिए, जिसका हम लोगों ने उदाहरण देखा कि तत्काल न्याय देने के क्या परिणाम होते हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी न्याय हो और लोगों को जल्दी न्याय मिले। उसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास भी कर रही है लेकिन मुख्य बात मैं उठाना चाहता हूं कि त्वरित न्याय के साथ ही न्याय की क्वालिटी में भी सुधार होना चाहिए। न्यायिक निर्णयों में गुणवत्ता दिखनी चाहिए। कई बार न्यायाधीशों की अधिक तेजी तथा जिले और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं में कुशलता की कमी के कारण भी गलत निर्णय देखने को मिल रहे हैं, जिससे पक्षकारों को भारी नुकसान हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि त्वरित व क्वालिटी जजमैंट के लिए अधीनस्थ अदालतों तथा जिले में जो अधिवक्ता काम करते हैं, उनका व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने व न्यायिक प्रक्रिया का आधार व क्षमता बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवायें लेने पर भी सरकार विचार करे।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।